सं0-521/xxviii-4-2005-60/2005

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्साधिकारी
रूद्रप्रयाग / बागेश्वर / नैनीताल ।

चिकित्सा अनुभाग-4 देहरादून: दिनांक: 19 नवम्बर, 2005

विषय: परिवार कल्याण उपकेन्द्र के भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र सं0-7प / 1/उपकेन्द्र/22/2005/22459 दिनांक 03.10.2005 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय परिवार कल्याण उपकेन्द्र भवनो के निर्माण कार्य हेतु रू0 40,58,000.00 (रू0 चालीस लाख अट्ठावन हजार मात्र)की लागत पर प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन तथा चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 मे संलग्नानुसार कुल रू0 40,58,000.00(रू0 चालीस लाख अट्ठावन हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1- एकमुश्त प्राविधानो को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ले।

2- कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3- धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् निर्माण इकाई अपर परियोजना प्रबन्धक ग्रामीण कल्याण निर्माण निगम लि0, पेयजल निर्माण निगम, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायगा।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानो मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

5- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों मे जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

6- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है । स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8- एक मुश्त प्रतिधन को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10- कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

11- आगणन को जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय,उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मत किया गया है।

13- निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टियों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14- निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15- उक्त भवनों के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुरीक्षण करने की आवश्यकता न पड़े ।

16- उक्त व्यय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 101-स्वास्थ्य उपकेन्द्र, 01 जिला योजना, 9101-उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण (जिला योजना), 24-बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

17- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-108/वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/2004 दिनांक 17.11.2005 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या 521/XXVIII-4-2005-60/2005 तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देरादून ।
2- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3- कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल ।
4- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल ।
5- महानिदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तरांचल देहरादून।
6- अपर परियोजना प्रबन्धक समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 /पेयजल निर्माण निगम/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा ।
7- निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
8- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून ।
9- आयुक्त कुमांऊ / गढ़वाल मण्डल उत्तरांचल ।
10- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
11- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)

उप सचिव

4IC·1081

शासनादेश सं0-521 /xxviii-4-2005-60/2005 दिनांक 15.11. 2005 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र0 सं0 | उपकेन्द्र का नाम | जनपद का नाम | निर्माण इकाई | आगणन की लागत | स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प0क0उपकेन्द्र सैनाई | बागेश्वर | स0क0नि0 | रू0 6.60 लाख | रू0 6.60 लाख |
| 2 | प0क0उपकेन्द्र पोथिंग | बागेश्वर | स0क0नि0 | रू0 7.50 लाख | रू0 7.50 लाख |
| 3 | प0क0उपकेन्द्र बैलपड़ाव | नैनीताल | पे0ज0नि0 | रू0 4.22 लाख | रू0 4.22 लाख |
| 4 | प0क0उपकेन्द्र लमगोण्डी | रूद्रप्रयाग | ग्रा0अभि0से0 | रू0 6.40 लाख | रू0 6.40 लाख |
| 5 | प0क0उपकेन्द्र रणधार | रूद्रप्रयाग | ग्रा0अभि0से0 | रू0 7.88 लाख | रू0 7.88 लाख |
| 6 | प0क0उपकेन्द्र रांसी | रूद्रप्रयाग | ग्रा0अभि0से0 | रू0 7.98 लाख | रू0 7.98 लाख |
| | | | योग | रू0 40.58 | रू0 40.58 |

(रू0 चालीस लाख अट्ठावन हजार मात्र)

(अतर सिंह)
उप सचिव

1911050012